

मैसर्स आधुनिक खाद्य उत्पाद (पी) लिमिटेड, उत्तरप्रदेश

बनाम

केंद्रीय आयोग आयुक्त, मेरठ

अप्रैल 20,2007

[एस. एच. कपाडिया और बी. सुदर्शन रेड्डी, जे. जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985-अध्याय शीर्षक 19.04 और 21.07 (ए. वाई. 1996-97 के दौरान अध्याय शीर्षक 21.08 के रूप में पुनर्निर्मित) अनाज की सूजन/भूनकर 'पफ' बनाना-उत्पाद की गलत घोषणा के आधार पर प्राप्तकर्ता पर की गई मांग-नीचे दिए गए अधिकारियों के साथ-साथ अधिकरण द्वारा भी पुष्टि की गई। मुख्य प्रश्न यह तय करने की आवश्यकता थी कि क्या 'पफ' अध्याय शीर्षक 19.04 के तहत आएगा या अध्याय शीर्षक 21.07 के तहत (AI 1996-97 के दौरान अध्याय शीर्षक 21.08 के रूप में पुनर्निर्मित)-लेकिन अधिकरण ने इस बारे में कोई निष्कर्ष नहीं दिया कि क्या 'IQ' अध्याय शीर्षक 19.04 के तहत आएगा-इसने विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रश्नों पर विचार नहीं किया-मामले को नए सिरे से निर्धारण के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेज दिया गया।

निर्धारिती अनाज, अर्थात् गेहूं और सोयाबीन से 'IQ' का निर्माण करता है। इस उत्पाद को छोटे पात्रों में पैक किया जाता है और हरियाणा में एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) को आपूर्ति की जाती है। विभाग ने उक्त उत्पादों को 'चबेना/प्रसाद' के रूप में गलत घोषित करने के लिए निर्धारिती पर मांग उठाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। यह भी आरोप लगाया गया कि उक्त उत्पादों को बाजार में 'बोनटन' ब्रांड के नाम से नाशते के अनाज के रूप में बेचा जाता था, जो प्रोटीन में उच्च और कोलेस्ट्रॉल में कम होते थे और पांच सितारा अस्पतालों और सार्वजनिक स्कूलों को भी बेचे जाते थे। इन परिस्थितियों में, निर्धारिती को 2 करोड़ 31 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था। इस मांग की पुष्टि नीचे के अधिकारियों के साथ-साथ अधिकरण ने भी की थी। इसलिए वर्तमान अपील पेश की गई।

अपील को मंजूर करते हुए, न्यायालय ने निर्धारित किया।

1.1 . अनाज से तैयार 'पफ' ' प्रसाद/प्रसादम ' के भीतर नहीं आ सकते हैं। उस हद तक न्यायनिर्णयन का आक्षेपित आदेश स्वीकार्य है। [ पैरा 8] [394-ई]

1.2 . यह तय करने के लिए आवश्यक मुख्य प्रश्न यह था कि क्या अनाज से बने 'पफ' अध्याय शीर्षक 19.04 के अंतर्गत आते हैं या चैप्टर हेडिंग 21.07 (चैप्टर हेडिंग 21.08 के रूप में पुनर्निर्मित 1996-97 कर

निर्धारण वर्ष) के अंतर्गत आएगा। पूरी चर्चा में आक्षेपित निर्णय में न्यायाधिकरण द्वारा इस बारे में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि क्या 'अनाज से तैयार किए गए पफ अध्याय शीर्षक 19.04 के अंतर्गत आते हैं। जहां तक सोया नट्स से तैयार 'पफ्स' का प्रश्न है, आईसीडीएस, हरियाणा की अपेक्षित अवधि के दौरान निर्धारिती द्वारा बेचे गए पफड सोया नट्स की मात्रा और उसी अवधि के दौरान निर्धारिती द्वारा सार्वजनिक स्कूलों और पांच सितारा अस्पतालों को बेचे गए उक्त उत्पाद की मात्रा के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं है। इस बारे में भी निष्कर्ष नहीं कि क्या आईसीडीएस, हरियाणा को 'बोनटन' ब्रांड नाम से 'पफड सोया नट्स' की आपूर्ति की गई थी या छोटे पात्रों पर कोई ब्रांड नाम चिपकाए बिना आपूर्ति की गई। ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रविष्टि 2108.91 "अन्य" के लिए शुल्क की शून्य दर को संदर्भित करती है। खाद्य तैयारी "जब तक उत्पाद की आपूर्ति बिना किसी ब्रांड नाम के की जाती है। इन प्रश्नों पर निर्णय लेना भी महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से क्योंकि सामान्य छूट No.83 में कहा गया है कि छूट का लाभ केवल तभी दिया जाएगा जब उत्पाद शिशु उपयोग के लिए सोया आधारित भोजन तैयार करने वाला हो। निर्धारिती के अनुसार पफड सोया नट्स 1994 की अधिसूचना संख्या 2 (सामान्य छूट No.83) आइटम No.25 के तहत सोया आधारित भोजन है। मूल्यांकनकर्ता के अनुसार आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत स्कूलों को पफड सोया नट्स की

आपूर्ति की गई थी। इनमें से किसी भी सवाल का निर्णय नहीं किया गया है। [ पैरा 9 और 11] [394-ई, एफ; 396-बी-ई]

2. इन परिस्थितियों में, अधिकरण के फैसले को अपास्त किया जाता है और कानून के अनुसार नए सिरे से निर्धारण के लिए मामले को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेजा जाता है। [ पैरा 12] [396-ई, एफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 654/2002

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में अपील सं. ई-251/1998-डी व 215/2001-डी निर्णय और आदेश दिनांक 09.11.2001 से।

अपीलार्थी की ओर से ए. आर. माधव राव, आलोक यादव और एम. पी. देवनाथ।

प्रतिवादी की ओर से वी. शेखर, सी. के. सुचरिता और बी. के. प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय निम्न द्वारा दिया गया-

कापडिया, जे.

1. एक संक्षिप्त बिंदु जो इस अपील में निर्धारण के लिए आवश्यक: क्या अनाज की सृजन या भूनने से प्राप्त 'IQ' अध्याय शीर्षक 19.04 के तहत

अनाज की तैयारी का गठन करते हैं। अपीलार्थी के अनुसार अनाज से 'पफ' अध्याय शीर्षक 21.07 (खाद्य तैयारी) के अंतर्गत आते हैं।

2. निर्धारिती अनाज अर्थात् गेहूँ और सोया नट्स से 'पफ' का निर्माण करता है। उक्त उत्पाद को छोटे पात्रों में पैक किया जाता है और हरियाणा में एकीकृत बाल विकास योजना में आपूर्ति की जाती है हरियाणा में एकीकृत बाल विकास योजना (संक्षेप में 'आईसीडीएस')।

3. 21.3.1997 पर विभाग द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया गया था। जिसमें उक्त उत्पादों 'चबेना/प्रसाद' की गलत घोषणा के लिए निर्धारिती से मांग की गई। उक्त कारण दर्शाओ नोटिस में आगे यह आरोप लगाया गया था कि उत्पादों को ब्रांड नाम 'बोनटन' के तहत बेचा गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस में यह भी आरोप लगाया गया था कि उक्त 'IQ' बाजार में नाश्ते के अनाज के रूप में, प्रोटीन में उच्च और कोलेस्ट्रॉल में कम के आधार पर बेचे गए थे। यह भी आरोप लगाया गया कि उक्त उत्पादों को पांच सितारा अस्पतालों और सार्वजनिक स्कूलों को बेचा गया था। इन परिस्थितियों में निर्धारिती को विभाग के द्वारा उपर्युक्त अवधि के लिए शुल्क के रूप में 2 करोड़ 31 लाख रुपये देने की मांग की गई। इसकी पुष्टि नीचे दिए गए अधिकारियों के साथ-साथ अधिकरण के द्वारा भी की गई है। इसलिए यह दीवानी अपील की गई।

4. इस मामले में हमसे एक ही प्रविष्टि के दो भाग संबंधित हैं जिसमें कारण दर्शाओ नोटिस में 1992-93 से 1996-97 के बीच 5 साल की अवधि आती है।

5. 1994-95 अवधि के लिए हम नीचे दिए गए अध्याय शीर्षक 19.04 को उद्धृत करते हैं।

"अध्याय 19

अनाज, आटा, स्टार्च या दूध, पेस्ट्री कूक्स के उत्पाद बनाने की तैयारी

टिप्पणियाँ:

1. XXX XXX XXX

2. शीर्षक संख्या. 19.04 में। कोको पाउडर के वजन से 8 प्रतिशत से अधिक या चॉकलेट या अन्य के साथ लेपित की तैयारी या अध्याय 18 का कोको युक्त खाद्य पदार्थ की तैयारी सम्मिलित नहीं है।

शीर्षक संख्या	उपशीर्षक संख्या	वस्तुओं का विवरण	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
19.04		अनाज या अनाज उत्पादों (उदाहरण के लिए, मक्की के दानों) को फुलाने या	

		भुनने से प्राप्त तैयार खाद्य पदार्थ; अनाज, अन्य	
		मक्का की तुलना में, अनाज के रूप में, पहले से पका हुआ या अन्यथा तैयार किया हुआ।	
	1904.10	युनिट कंटेनरों में रखे और सामान्यतः बिक्री के लिए हों।	10%
	1904.90	अन्य	शुन्य

इसी अवधि के लिए हम नीचे दिए गए अध्याय शीर्षक 21.07 को उद्धृत करते हैं:

" अध्याय 21 "

विविध खाद्य तैयारीयाँ

टिप्पणियाँ:

1 से 4. XXX XXX XXX

5. शीर्षक संख्या 21.07, अन्य बातों के साथ-साथ, इसमें शामिल हैं:

(ए) प्रोटीन केंद्रित और बनावट वाले प्रोटीन पदार्थ;

(बी) मानव उपभोग के लिए तैयार करना, या तो सीधे या प्रसंस्करण के बाद (जैसे खाना बनाना; पानी, दूध या अन्य तरल पदार्थों में घोलना या उबालना); के लिए तैयारी;

(सी) पूरी तरह से या आंशिक रूप से खाद्य पदार्थों से युक्त तैयारी, जिसका उपयोग मानव उपभोग के लिए पेय पदार्थ या भोजन तैयार करने में किया जाता है;

(डी) टेबल क्रिम, जेली, आइसक्रिम और इसी तरह की तैयारियों के लिए पाउडर, चाहे मीठा किया गया हो या नहीं;

(ई) पेय पदार्थ बनाने के लिए स्वाद बढ़ाने वाले पाउडर, चाहे वह मीठे हो या नहीं;

(एफ) मूंगफली का मक्खन;

(जी) चाय या कॉफी और दूध का पाउडर, चीनी और किसी अन्य अतिरिक्त सामग्री से बनी तैयारी;

(एच) तैयारी (उदाहरण के लिए गोलियाँ) जिसमें सैकेरिम और लैक्टोज जैसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं, जो मीठा करने के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाते हैं;

(आई) पूरी तरह या आंशिक रूप से पकाई गई पहले से पकी हुई उपज और उनका निर्जलीकरण;और

(जे) नींबू पानी या अन्य पेय पदार्थों की तैयारी, उदाहरण के लिए स्वादयुक्त या रंगीन सिरप एक के साथ सुगंधित सिरप जोड़ा गया केंद्रित अर्क, फलों के रस के साथ सुगंधित सिरप और अतिरिक्त सामग्री के साथ केंद्रित फलों का रस।

शीर्षक संख्या	उप-शीर्षक संख्या	वस्तुओं का विवरण	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
21.07		खाद्य तैयारी, अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं	
	2107.10	प्रसाद या प्रसादम	शून्य
	2107.20	निष्फलयुक्त पास्चुरीकृत मिलटोन	शून्य
		अन्य:	
	2107.91	युनिट कंटेनरों में रखे और सामान्यतः बिक्री के लिए हों।	50%
	2107.99	अन्य	50%

6. इस स्तर पर यह ध्यान दिया जा सकता है कि अध्याय उपशीर्षक 2107.91 संबंधित अवधि के दौरान 50 प्रतिशत शुल्क लगता है। हालांकि, अधिसूचना संख्या 2/1994 दिनांक 1.3.1994 की सामान्य छूट No.83 (मद No.25) को देखते हुए शुल्क की प्रभावी दर शून्य थी। हम यहाँ नीचे

सामान्य अधिसूचना संख्या 2/1994 के माध्यम से छूट No.84 के आइटम No.25 को उद्धृत करते हैं।

"सामान्य अपवाद सं. 83

अध्याय 4 से 22 तक की कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं के लिए शुल्क की प्रभावी दर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके द्वारा इससे संलग्न तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के अध्याय या उप-शीर्षक संख्या के अन्तर्गत आने वाले सामान को छूट मिलती है, जो कॉलम में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट है। उक्त तालिका के कॉलम-(2) में संबंधित प्रविष्टि में, इस प्रकार से उस पर अधिरोपित उत्पाद शुल्क का अधिकांश भाग जो इस में निर्दिष्ट है वस्तुओं को छूट दी गई है। इसके कॉलम (4) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट दर पर गणना की गई राशि से अधिक है।

शीर्षक संख्या	उप-शीर्षक संख्या	वस्तुओ का विवरण	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
25	2107.91	सोया टेक्सचर्ड प्रोटीन, सोया दही, सौया	शुन्य

		<p>टाेफु, सोया आधारित भोजन शिशु के लिए, तैयारियाँ, सोया दूध पाउडर, सोया नूडल्स, सोया मैकरोनी और सोया टेम्पेह, चाहे या नहीं जिसमें अन्य खाद्य सामग्री शामिल हैं लेकिन कोको शामिल नहीं;</p> <p>((ii) फलों का चूर्ण और सब्जियाँ</p> <p>((iii)पापड़, इडली-मिश्रण,बड़ा मिश्रण, डोसा-मिश्रण, जलेबी-मिश्रण,गुलाबजामुन-मिश्रण या नमकीन, जैसे भुजिया,चबेना।</p>	
--	--	--	--

7. दोनों पक्षों के विद्वान विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

8. वर्तमान मामले में कारण बताओ नोटिस वर्गीकरण की तुलना में निर्धारिती द्वारा दावा की गई छूट से इनकार पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि अनाज से तैयार 'पफ' आइटम 'प्रसाद/प्रसादम' अनाज के दायरे में नहीं आ सकते हैं। उस हद तक हम न्यायनिर्णयन के आक्षेपित आदेश से सहमत हैं।

9. मुख्य प्रश्न जिसे तय करने की आवश्यकता थी वह यह था कि क्या ' अनाज से बने 'पफ' अध्याय शीर्षक 19.04 के अंतर्गत आएंगे या

क्या वे अध्याय शीर्षक 21.07 के अंतर्गत आएंगे। (मूल्यांकन वर्ष 1996-97 के दौरान अध्याय शीर्षक 21.08 के रूप में पुन तैयार किया गया)

10. स्पष्टता के लिए हम नीचे दिए गए पुनिर्निर्मित अध्याय शीर्षक 21.08 को भी उद्धृत करते हैं।

" अध्याय 21

विविध खाद्य तैयारी

टिप्पणियाँ:

1 से 8. XXX XXX XXX

9. शीर्षक संख्या 21.08, अन्य बातों के साथ-साथ, इसमें शामिल हैं:

(ए) प्रोटीन केंद्रित और बनावट वाले प्रोटीन पदार्थ;

(बी) मानव उपभोग के लिए तैयार करना, या तो सीधे या प्रसंस्करण के बाद (जैसे खाना बनाना; पानी, दूध या अन्य तरल पदार्थों में घोलना या उबालना); के लिए तैयारी;

(सी) पूरी तरह से या आंशिक रूप से खाद्य पदार्थों से युक्त तैयारी, जिसका उपयोग मानव उपभोग के लिए पेय पदार्थ या भोजन तैयार करने में किया जाता है;

(डी) टेबल क्रिम, जेली, आइसक्रिम और इसी तरह की तैयारियों के लिए पाउडर, चाहे मीठा किया गया हो या नहीं;

(ई) पेय पदार्थ बनाने के लिए स्वाद बढ़ाने वाले पाउडर, चाहे वह मीठे हो या नहीं;

(एफ) मूंगफली का मक्खन;

(जी) चाय या कॉफी और दूध का पाउडर, चीनी और किसी अन्य अतिरिक्त सामग्री से बनी तैयारी;

(एच) तैयारी (उदाहरण के लिए गोलियाँ) जिसमें सैकेरिम और लैक्टोज जैसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं, जो मीठा करने के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाते हैं;

(आई) पुरी तरह या आंशिक रूप से पकाई गई पहले से पकी हुई उपज और उनका निर्जलीकरण;और

(जे) नींबू पानी या अन्य पेय पदार्थों की तैयारी, उदाहरण के लिए स्वादयुक्त या रंगीन सिरप एक के साथ सुगंधित सिरप जोड़ा गया केंद्रित अर्क, फलों के रस के साथ सुगंधित सिरप और अतिरिक्त सामग्री के साथ केंद्रित फलों का रस।

शीर्षक संख्या	उप-शीर्षक संख्या	वस्तुओ का विवरण	शुल्क की दर
------------------	---------------------	-----------------	----------------

(1)	(2)	(3)	(4)
21.08		खाद्य तैयारी, अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं	
	2108.10	वातित जल के निर्माण में उपयोग के लिए नींबू पानी या अन्य पेय पदार्थों की तैयारी	40%
	2108.20	शरबत	20%
	2108.30	प्रसाद या प्रसादम	शून्य
	2108.40	निष्फलया पास्चुरीकृत मिलटोन	शून्य
		अन्य	
	2108.91	कोई ब्रांड नाम नहीं	शून्य
	2108.99	अन्य	20%

11. आक्षेपित फैसले में पूरी चर्चा में न्यायाधिकरण द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है, कि क्या अनाज से तैयार किए 'पफ' चैप्टर हेडिंग 19.04 के अंतर्गत आएगा। जहाँ तक सोया नट्स से तैयार 'पफ्स' का सवाल है, उपरोक्त अवधि के दौरान निर्धारिती द्वारा आईसीडीएस, हरियाणा को बेचे गए पफ्ड सोया नट्स की मात्रा और उक्त अवधि के दौरान निर्धारिती द्वारा सार्वजनिक स्कूलों और पांच सितारा अस्पतालों को बेचे गए उक्त उत्पाद की मात्रा के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं मिला है। यह

भी पता नहीं चला है कि क्या 'पफड सोया नट्स' की आपूर्ति आई. सी. डी. एस., हरियाणा को 'बोनटन' ब्रांड नाम के तहत की गई थी या क्या उन्हें छोटे पात्रों पर किसी भी ब्रांड नाम के चिपकाए बिना आपूर्ति की गई थी। ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रविष्टि 2108.91 "अन्य खाद्य तैयारी" के लिए शुल्क की शून्य दर को संदर्भित करती है जब तक कि उत्पाद की आपूर्ति बिना ब्रांड नाम के की जाती है। इन प्रश्नों पर निर्णय लेना भी महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से क्योंकि सामान्य छूट No.83 में कहा गया है कि छूट का लाभ केवल तभी दिया जाएगा जब उत्पाद शिशु उपयोग के लिए सोया आधारित भोजन तैयार करने वाला हो। निर्धारिती के अनुसार पफड सोया नट्स एक सोया आधारित भोजन है जो 1994 की अधिसूचना संख्या 2 ( सामान्य छूट No.83) के मद No.25 के तहत तैयार किया जाता है। निर्धारिती के अनुसार आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत स्कूलों को पफड सोया नट्स की आपूर्ति की गई थी। इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया है।

12. इन परिस्थितियों में, हम अधिकरण के विवादित निर्णय को अस्वीकार कर खारीज करते हैं और कानून के अनुसार नए सिरे से निर्धारण के लिए मामले को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को भेजते हैं। तदनुसार, लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील स्वीकार की जाती है।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी बरकत अली (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।